आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re

Ref. No.: GIC-HO/BOARD/SE-2-PB/255/2026-27 Date: 23rd October 2026

Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai - 400001

Listing Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot C/1,
G Block, Bandra Kurla Complex
Mumbai - 400051

Scrip Code: (BSE - 540755/ NSE - GICRE)

Sub: Public Notice of Postal Ballot

Dear Sir/Madam,

In compliance with provisions of Regulations 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith newspaper clipping of the Public Notice published in various Newspapers on 23rd October 2026 regarding the Postal Ballot.

The above-mentioned Notice is also hosted on the website of the Corporation at www.gicre.in.

Request you to kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours sincerely

For General Insurance Corporation of India

SATHEESH KUMAR S
Digitally signed by SATHEESH KUMAR S
Date: 2026.10.23 12:51:42 +05'30'

(Satheesh Kumar)
CS & Compliance Officer

Encl.: A/A

Railways ramps up coal transport

- Volumes grow record 22.5% in October as power demand soars

MANU KAUSHIK
New Delhi, October 22



INDIAN RAILWAYS TRANSPORTED 22.5% more coal in the first 18 days of October than in the same period last year, the rail ministry said on Thursday. The national transporter dispatched 87 more coal rakes a day than in the same period last year because higher power demand and deficient rainfall in some regions increased the need for coal-based electricity generation. The record loading comes amid efforts by the railways, the coal ministry and the power ministry to ensure adequate fuel supplies to thermal power plants and maintain electricity generation.

During the first half of FY27, the railways dispatched an average of 430 coal rakes a day to thermal power plants, up 7.1% from the corresponding period last year. According to the ministry, the railways sent 14% more coal trains each day in September than it did in the corresponding month last year. Coal remains the largest freight commodity for rail accounting for roughly half of its total freight loading. Its share rose from 48.2% in FY23 to 49.6% in FY24 and about 50.9% in FY25. However, the share slipped to around 49% in FY26 as coal loading declined while overall freight volumes increased.

Coal transportation is critical to ensuring that thermal power plants receive sufficient fuel to operate without disruptions. The railways is coordinating with the coal ministry to improve coal evacuation, which involves moving coal from mines to destinations where it is needed. It is also working with the power ministry to sustain transportation and supplies.

India developing tunnel boring machine ecosystem: Vaishnaw

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, October 22

RAILWAYS MINISTER ASHWINI Vaishnaw said on Thursday that India is building indigenous capabilities in tunnel boring machine (TBM) technology to meet the growing demands of its infrastructure sector.

Vaishnaw, while highlighting in a social media post India's progress in developing TBM ecosystem, said that TBMs play a crucial role in constructing tunnels for railway, highway and power infrastructure projects. He said that while India earlier relied on imports, it is now manufacturing TBMs with diameters of 8 metres and 15 metres.

"The country is also preparing to manufacture TBMs with diameters exceeding 16 metres," he stated.

He added that with manufacturing facilities in Tamil Nadu and growing technical expertise, India is steadily developing a comprehensive TBM ecosystem, covering every stage from design and manufacturing to maintenance. "This progress reflects the spirit of Aatmanirbhar Bharat, strengthening India's domestic capabilities in critical infrastructure technology," Vaishnaw said.

General Insurance Corporation of India

(Government of India Company)

GIC Re

Regd. Office: 'Suraksha', 170, J. Tata Road, Churchgate, Mumbai-400020
Tel: +91-22-2286 7000 • Fax: +91-22-2288 4010
Website: www.gicre.in • E-mail: investors.gic@gicre.in
CIN: L67200MH1972GOI016133 • IRDAI REG. NO. 112

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given to the members pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ("Act"), read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with provisions of General Circular No(s). 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. Nos. 03/2025 dated September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "MCA Circulars") and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), General Insurance Corporation of India ("Corporation") is seeking approval from the members on the following item of Special Business as set out in the Postal Ballot Notice dated October 22, 2026 is proposed for approval by the Members of General Insurance Corporation of India ("Corporation"), by means of Postal Ballot through remote e-voting:

Ordinary Resolution : Appointment of Shri Divesh Sehara as Government Nominee Director (DIN: 08365952) on the Board of the Corporation.

Members are hereby informed that –

1. The Corporation has completed the dispatch of Notice through email to the members on **22nd October 2026**.
2. The Notice along with the explanatory statement is available on the website of the Corporation www.gicre.in, on the website of e-voting agency M/s. National Securities Depository Limited ("**NSDL**") www.evoting.nsdl.com, and on the website of the Stock Exchange(s) i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) www.nseindia.com and BSE Limited (BSE) www.bseindia.com.
3. The 'Cut-off' date for the purpose of ascertaining the eligibility of members to avail remote e-voting facility is **Friday, 9th October, 2026**. The members whose name is recorded in the register of members of the Corporation or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the remote e-voting facility.
4. In compliance with the MCA Circulars, the hard copy of Notice, Postal Ballot Form and prepaid business reply envelope have not been sent to the members. Hence, the members are required to communicate their assent or dissent only through the remote e-voting system. The Corporation has engaged NSDL to provide the remote e-voting facility.
5. The detailed procedure/ instructions on the process of remote e-voting are specified in the Notice.
6. The remote e-voting period will commence on **Friday, 23rd October 2026 at 09:00 a.m. (IST)** and shall end on **Saturday, 21st November 2026 at 05:00 p.m. (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled thereafter by **NSDL**. Once the vote on a resolution is cast by a member, no change will be allowed subsequently.
7. Manner of registering / updating email address:

Physical holding	Members holding shares in physical mode are requested to get their email address registered by sending an email to the Corporation (investors.gic@gicre.in) or RTA, KFintech (einward.ris@kfintech.com).
Demat holding	Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email address with their respective Depository Participant.

8. The Corporation has appointed Ms. Ragini Chokshi (FCS 2390) and in her absence Mr. Umashankar Hegde (ACS 22133) from M/s. Ragini Chokshi & Co., Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through remote e-Voting in a fair and transparent manner. The Scrutinizer's decision on the validity of the Postal Ballot shall be final.
9. The results (incl. Scrutinizer's Report) shall be displayed at the Registered Office of the Corporation and uploaded on the website of the Corporation (www.gicre.in) and on the NSDL's website (www.evoting.nsdl.com. The results shall also be communicated to the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE simultaneously.
10. In case of any queries /grievances in connection with casting vote through remote e-voting system, members may contact to Pallavi Mahatre, from NSDL, by sending an email at evoting@nsdl.com or call on **022-48867000** (toll free).

For General Insurance Corporation of India
Sd/-
Satheesh Kumar
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 22.10.2026

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF LLOYDS METAL & ENERGY LTD.

Regd. Off.Plot No A 1-2, MIDC Area, Ghugus, Chandrapur, Maharashtra, 442505

Notice is hereby given that the Certificate for the under mentioned Equity Shares of the Company have been lost / misplaced and the holder of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate.

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Registered Office within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

Name of the holder	Folio No.	No. of shares (Rs.1/-f.v)	Certificate No.	Distinctive Nos.
Bhatter Sushil Kumar	0179051	1000	4706	5532711 to 5533710

Name: Sushil Kumar Bhatter
Place: Mumbai
Date: 23.10.2026

RASHTRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED

(A Government of India Undertaking)
Administrative Building, Chembur, Mumbai 400 074, Maharashtra, INDIA • Phone: 00 91 22 2552 2242 / 2753 / 2608 Fax: 00 91 22 2552 2320
CIN – L24110MH1978GOI020185

GLOBAL TENDER FOR EMPANELMENT OF REPUTED TRADERS FOR SUPPLY OF FERTILIZERS & FERTILIZER RAW MATERIALS BY ENTERING INTO MOU FOR NON-BINDING QUANTITY FOR A PERIOD OF ONE YEAR

Product	FERTILIZERS & FERTILIZER RAW MATERIALS
Reference No:	DC / MR / EMP / RM FERTILIZERS: 21905

Applications are invited for Empanelment of Reputed Traders for supply of Fertilizers & Fertilizer Raw materials by entering into an MOU for non-binding quantity for a period of one year.

Closing Date & Time: 14 NOVEMBER, 2026 up to 11:30 Hrs. IST

The complete details for Empanelment are available on RCF website: **www.rcfltd.com** in Trombay Tenders.

Website for Documents Submission:
https://eprocure.gov.in/eprocure/app
CPP Tender ID: 2026_RCFL_931245_1

General Manager (Commercial)

Let us grow together

eternal

Eternal Limited (Formerly known as Zomato Limited)

CIN: L93030DL2010PLC198141

Registered office: Ground Floor, 12A, 94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi - 110019, Delhi, India
Telephone: 011 - 40592373, **Email:** companysecretary@eternal.com, **Website:** www.eternal.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (CONSOLIDATED & STANDALONE) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

The board of directors of the Company, at the meeting held on October 21, 2026, approved the unaudited financial results (consolidated & standalone) of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2026 ("**Financial Results**").

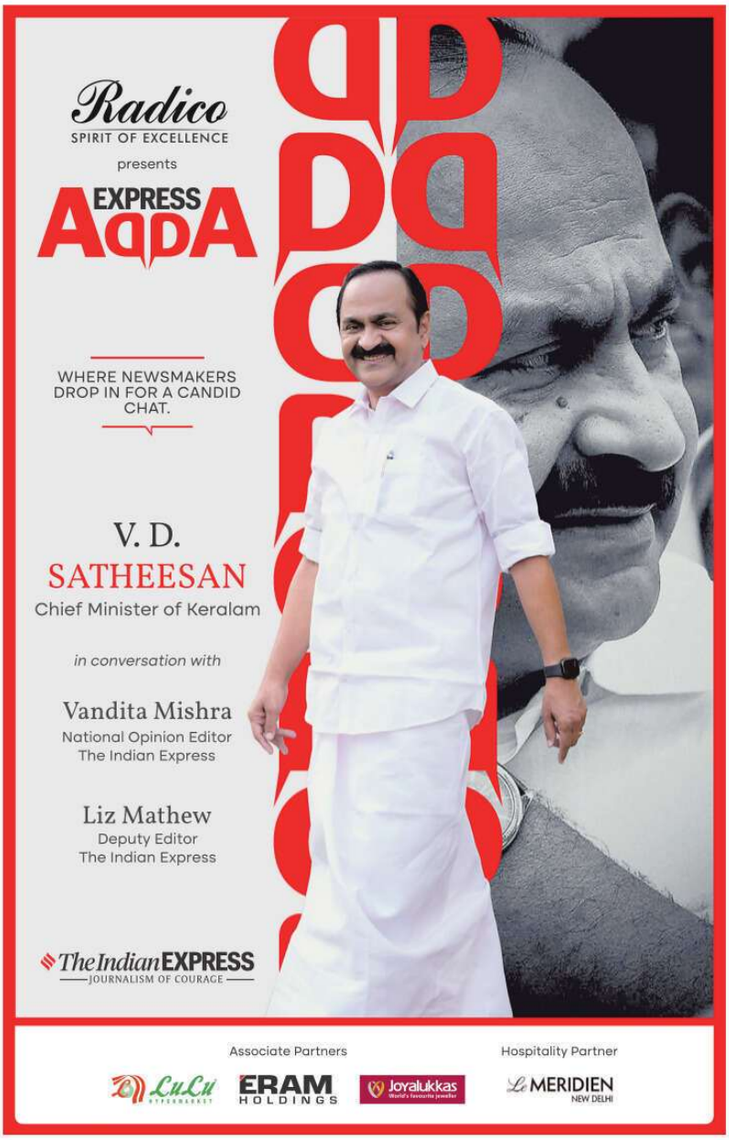
The Financial Results along with the Limited Review Report, have been posted on the Company's website at **https://b.zmtcdn.com/investor-relations/Eternal_Limited_Financial_Results_Q2FY27.pdf** and can be accessed by scanning the QR code.

For and on behalf of the board of directors of Eternal Limited (Formerly known as Zomato Limited)

Sd/-
Kaushik Dutta
Chairman and Independent Director
(DIN-03328890)

Date: October 21, 2026
Place: New Delhi

Note: *The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47 (1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.*





CIN: L26922HR1990PLC010901
Regd. Office: O.P.Jindal Marg, Hisar-125 005 (Haryana)
Ph. No. (01662) 222471-83, Fax No. (01662) 220499, Email Id. for investors: investorcare@jindalstainless.com, Website: www.jindalstainless.com

EXTRACTS OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2026

(₹ in crores except per share data)

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended			For the half year ended		For the year ended
		30 September 2026	30 June 2026	30 September 2025	30 September 2026	30 September 2025	31 March 2026
		Unaudited			Unaudited		Audited
1	Total income from operations	12,873.86	11,278.54	10,892.78	24,152.40	21,099.92	42,954.66
2	EBITDA *	1,432.90	1,329.14	1,367.85	2,762.04	2,697.65	5,560.43
3	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,084.78	1,033.59	1,061.01	2,118.37	2,030.06	4,300.41
4	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,201.19	1,033.59	1,078.42	2,234.78	2,047.47	4,242.07
5	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	897.75	768.66	807.92	1,666.41	1,522.58	3,184.57
6	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	910.29	766.03	815.91	1,676.32	1,529.48	3,286.57
7	Paid up equity share capital (face value of ₹2/- each)	164.84	164.82	164.74	164.84	164.74	164.79
8	Other equity	21,088.00	20,417.22	17,914.54	21,088.00	17,914.54	19,626.49
9	Securities premium account	4,147.12	4,145.35	4,120.52	4,147.12	4,120.52	4,134.58
10	Net worth	21,252.84	20,582.04	18,079.28	21,252.84	18,079.28	19,791.28
11	Paid up debt capital #	-	99.00	99.00	-	99.00	99.00
12	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-	-	-	-
13	Debt equity ratio	0.33	0.36	0.37	0.33	0.37	0.37
14	Earning per share (EPS) (face value of ₹2/- each) Basic (in ₹) Diluted (in ₹) (EPS for the period not annualised)	10.85 10.84	9.34 9.32	9.80 9.78	20.19 20.16	18.47 18.44	38.76 38.70
15	Capital redemption reserve	62.50	62.50	20.00	62.50	20.00	62.50
16	Debenture redemption reserve #	-	-	-	-	-	-
17	Debt service coverage ratio	3.89	5.40	4.92	4.49	3.71	4.33
18	Interest service coverage ratio	9.51	9.90	10.49	9.69	10.02	10.41

* EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation & amortization and other income
# Listed debenture

Notes

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly / half-yearly / yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR)"). The full format of the standalone and consolidated quarterly / half-yearly / yearly financial results along with other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) are available on the Company's website: (www.jindalstainless.com) and on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com). The same can be access by scanning the QR Code provided below.
2. Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) :

(₹ in crores)

Particulars	For the quarter ended			For the half year ended		For the year ended
	30 September 2026	30 June 2026	30 September 2025	30 September 2026	30 September 2025	31 March 2026
	Unaudited			Unaudited		Audited
Total income from operations	11,413.38	10,676.55	10,880.89	22,089.93	21,021.40	42,680.22
EBITDA *	1,177.85	1,028.41	1,069.82	2,206.26	2,107.61	4,322.20
Profit before tax (before exceptional items)	980.48	815.27	866.91	1,795.75	1,729.69	3,579.68
Profit before tax (after exceptional items)	1,055.25	815.27	866.91	1,870.52	1,729.69	3,736.57
Profit after tax	765.50	605.89	643.89	1,391.39	1,285.53	2,842.96

Place: New Delhi
Date: 22 October 2026

By Order of the Board of Directors
For Jindal Stainless Limited

Tarun Kumar Khulbe
Chief Executive officer and Whole Time Director
DIN: 07302532

केनरा बैंक Canara Bank (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking) सिंडिकेट Syndicate

शाखा : राजपुर रोड़, देहरादून

नीचे दिए गए व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि कई नोटिस दिए जाने के बावजूद, उन्होंने अपने लोन खातों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इसलिए, उनसे अनुरोध है कि वे बकाया राशि और अन्य शुल्कों का भुगतान करें और गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) को (दिनांक : 23.011.2026)' या उससे पहले छुड़ा लें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो बैंक अपनी प्रक्रिया के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के, अपनी मर्जी से इन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक नीलामी में बेच देगा। इस नीलामी का खर्च उधारकर्ता को उठाना होगा।

क्र0सं0	लोन की तिथि	लोन नम्बर	ऋणी का नाम व पता	देयता (रू0)
1.	28.04.2025	180221692651	प्रियांक शर्मा पुत्र विनय कुमार शर्मा, केयर ऑफ नेगी, प्रेयना स्टोर के सामने गुजराा मान सिंह, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून	रू0 1,03,407.60

दिनांक 22.10.2026 स्थान – देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CORDS

पंजीकृत कार्यालयः 94, 1ली मंजिल, शंभू दयाल बाग मार्ग, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-III के पास, ओल्ड ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110020
फोनः 011-40551200 | फैक्सः 011-20887232 | ईमेलः ccil@cordscable.com
वेबसाइटः www.cordscable.com | CIN: L74999DL1991PLC046092

सूचना

एतद्‌वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की 220वीं बैठक शुक्रवार, 06 नवंबर, 2026 को आयोजित की जानी निर्धारित हुई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 30 सितंबर, 2026 को समाप्त दूसरी तिमाही/6 महीनों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ कैश फ्लो विवरण और एजेंडा के अनुसार अन्य मदों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट (www.cordscable.com) और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात (www.bseindia.com) और (www.nseindia.com) जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध है।

सेबी (इनसाईडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन के लिए ट्रेडिंग विंडो) सभी निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों के लिए 01 अक्टूबर, 2026 से लेकर 30 सितंबर, 2026 को समाप्त दूसरी तिमाही/6 महीनों के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के सार्वजनिक होने के 48 घंटे बाद तक पहले से ही बंद कर दी गई है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते, कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-
गरिमा पंत
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 अक्टूबर, 2026

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015
शाखा कार्यालय : एफ-8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद-201019
ई-मेल : auction@hindujahousingfinance.com

जेडआरएमः श्री अमित कौशिक(9587088333) • आरएलएमः श्री अरुण मोहन शर्मा 8800898999,

परिशिष्ट- IV-ए [नियम 8 (6) के प्रावधान का संदर्भ लें] अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600015 में और एक शाखा कार्यालय : एफ-8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद-201019 में है, कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथिः 05.11.2026, 14:00 बजे-17:00 बजे
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 06.11.2026, 17:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि/समयः 07.11.2026, 11:00 बजे-13:00 बजे

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या तथा कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि / तिथि तक कुल बकाया	कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	ऋण खाता संख्या DL/GRN/PRCK/A000000037 श्री तरुण कुमार (कर्जदार) श्री लक्ष्मी लक्ष्मी (सह-कर्जदार)	05-10-2024 तथा रु. 1015537/- तिथि 05-10-2024 / रु. 1015537/- तिथि 19-10-2026	21-03-2025 भौतिक कब्जा	रु. 960000/- / रु. 96000/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर जीएफ-4, प्लॉट नंबर ए-150, रेल विहार लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 20110			
2.	ऋण खाता संख्या DL/NCU/GHAU/A000002568 श्री हितेंद्र शर्मा (कर्जदार) श्रीमती रिंकी रिंकी (सह-कर्जदार)	25-02-2025 तथा रु. 3791909/- तिथि 25-02-2025 / रु. 3791909/- तिथि 19-10-2026	14-07-2025 भौतिक कब्जा	रु. 3191000/- / रु. 319100/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः पूरी संपत्ति, मकान नंबर 347, खसरा नंबर 56 मिन, उत्तरांचल कॉलोनी, ग्राम सिहानी, परगना लोनी, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201003.			
3.	ऋण खाता संख्या DL/GRN/SRJP/A000000239 श्रीमती कमलेश कमलेश (कर्जदार) श्री मनोज मनोज (सह-कर्जदार)	16-06-2025 तथा रु. 1222333/- तिथि 16-06-2025 / रु. 122333/- तिथि 19-10-2026	15-10-2025 भौतिक कब्जा	रु. 1008000/- / रु. 100800/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर एलजी-01, एलआईजी, लोअर ग्राउंड फ्लोर (पीछे की तरफ, बाईं ओर), खसरा नंबर 1276, प्लॉट नंबर ए-21, एसएलएफ वेद विहार, परगना और तहसील लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201102.			
4.	ऋण खाता संख्या DL/GRN/OMCN/A000000255 श्री नीलेश नीलेश (कर्जदार) श्रीमती सरोज सरोज (सह-कर्जदार)	08-07-2025 तथा रु. 1057516/- तिथि 08-07-2025 / रु. 1057516/-तिथि 19-10-2026	15-10-2025 भौतिक कब्जा	रु. 1050000/- / रु. 105000/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर जीएफ-03, ग्राउंड फ्लोर (पीछे की तरफ, दाईं ओर), खसरा नंबर 218, प्लॉट नंबर बी-78, रेल विहार, ग्राम सदुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, शिव मंदिर के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201102.			
5.	ऋण खाता संख्या DL/DLS/DLSD/A000000322 श्री प्रवीण कुमार (कर्जदार) श्रीमती भारती (सह-कर्जदार)	08-07-2025 तथा रु. 4723224/- तिथि 08-07-2025 / रु. 4723224/- तिथि 19-10-2026	26-10-2025 भौतिक कब्जा	रु. 4203000/- / रु. 420300/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः छत के साथ पहली मंजिल, एच.आई.जी, फ्लैट नंबर 65ए, सेक्टर-2, 'साधना', वैशाली कॉलोनी, गाजियाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।			

भुगतान का तरीकाः- भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में गाजियाबाद में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तेंः -1. संपत्ति 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित' आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल **auction@hindujahousingfinance.com** और **https://www.bankeauctions.com** वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पताः सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 68 सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा-122003, (संपर्क व्यक्तिः मिथलेश कुमार, फोन नंबर 7080804466, ईमेलः **delhi@c1india.com**, सहायता मोबाइल नंबरः- 7291981124/1125/1126) से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **https://www.bankeauctions.com/** तथा **auction@hindujahousingfinance.com** पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। 8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप **https://www.bankeauctions.com/** तथा **auction@hindujahousingfinance.com** पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित करके कार्यालय हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एफ -8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर -4, वैशाली, गाजियाबाद के शाखा कार्यालय में - 201019 में जमा करना चाहिए। 10. सीलबंद लिफाफे पर 'ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली - संपत्ति के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है)' में लिखा होना चाहिए। ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धत की हैं और प्रतिभूत लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर-से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। 11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई-नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 12. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 13. ई-नीलामी की कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता घोषित होने के लिए अपने मेल आईडी **brajesh.gupta@hindujahousingfinance.com** पर प्राधिकृत अधिकारी और सेवा प्रदाता दोनों को ई-मेल द्वारा अपने द्वारा उद्धत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करनी होगी। 14. सफल बोलीदाता को बिक्री का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल अर्थात उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले, जैसा भी मामला हो, बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करना होगा, जिसमें जमा की गई धरोहर राशि, यदि कोई हो, शामिल है। खरीद मूल्य की शेष राशि अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले देय होगी। 15. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 17. सफल बोलीदाता लागू टीडीएस (बिक्री आय में से) का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। 18. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 20. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 23. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 24. अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एफ -8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर -4, वैशाली, गाजियाबाद के शाखा कार्यालय में - 201019 पर संपर्क करें। 25. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 15 (पन्द्रह) दिनों का नोटिस भी है।

दिनांकः 23.10.2026, स्थान : गाजियाबाद हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विशेष निर्देश/चेतावनीः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

अचल संपत्ति के लिए कब्ज़ा सूचना

कॉर्पोरेट कार्यालयः 6वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरुग्राम–122003, हरियाणा।
टेलीफोनः 1800–532–4444। पंजीकृत कार्यालयः राजस्थान।

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए उधारकर्ताओं एवं सम्पत्ति / जमानती के मालिकों को भी उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए यहाँ निर्दिष्ट खातों के सम्मुख अंकित तिथियों को एक मांग नोटिस जारी किया। सम्पत्ति के मालिकों एवं अन्य द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, यहाँ निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ निर्दिष्ट प्रत्येक खातों के सम्मुख अंकित तिथियों को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति/यों पर सांकेतिक /भौतिक कब्ज़ा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यहाँ निर्दिष्ट राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगी।

ऋणधारक /गारंटर का नाम (सम्पत्ति के मालिकों) एवं ऋण खाता संख्या	चार्जड / बंधक सम्पत्ति का विवरण (निम्न से युक्त सम्पत्ति के सभी टुकड़े एवं अंश)	मांग सूचना की तिथि,मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्रीमती मुन्नी देवी और भागीरथ निवासीः रायको का बास, चंदेलाव, बनार, जोध. पुर, बिलारा, राजस्थान 342027, ऋण खाता सं. LA34VLLONS000005108891/AP-10258120 शाखा कार्यालयः बासनी	ग्राम चंदेलाव, पंचायत समिति बिलारा, जोधपुर, राजस्थान 342027 में पट्टा नंबर 24, बुक नंबर 06, मिसल नंबर 85/2019–20 के अंतर्गत आने वाली संपत्ति का समस्त टुकड़ा एवंम अंश। कुल क्षेत्रफलः 2475 वर्ग फुट। सीमाएं: पूर्व – अपनी जमीन और रास्ता, पश्चिम – भीराम राम, उत्तर – बुधा राम, दक्षिण – भीराम राम	मांग सूचना पत्र 12–जुलाई–2026 10–जुलाई–2026 तक बकाया राशिः 18,29,039/– रुपये (अठारह लाख उनतीस हजार उनतालीस रुपये)। इसके साथ 11–जुलाई–2026 से ब्याज, अन्य शुल्क और भुगतान की तारीख तक का खर्च भी देय होगा।	22.10.2026
श्रीमती उबारी कुंवर (पत्नीः खेत सिंह) और खेत सिंह (पुत्रः रण सिंह) के कानूनी उत्तराधिकारी। निवासीः विजय नगर, गोलिया, रामसीन 307803, राजस्थान ऋण खाता संः HLBNSVLONS000005164672 और LABNSVLONS000005167786/ AP-10379946 तथा AP-10380948A शाखाः भीनमाल	ग्राम और ग्राम पंचायत रामसीन पीएस और तहसील जसवंतपुरा, जालोर, राजस्थान 307803 में स्थित पट्टा नंबर 30, बुक नंबर 55, मिसल नंबर 324/2021–22 के अंतर्गत आने वाली संपत्ति का समस्त टुकड़ा एवंम अंश, क्षेत्रफलः 2079 वर्ग फुट। सीमाएं: पूर्व – आम रास्ता, पश्चिम – कालू राम (पिताः चम्ना गांची) का निवास, उत्तर – ईश्वर सिंह (पिताः रण सिंह) का निवास, दक्षिण – नाला।	मांग सूचना पत्र 12–जुलाई–2026 10 जुलाई 2026 तक देय राशिः रु.9,09,572.96 (नौ लाख नौ हजार पांच सौ बहत्तर रुपये और छियानवे पैसे)इसके साथ ही 11 जुलाई 2026 से ब्याज, अन्य शुल्क और भुगतान की तारीख तक का खर्च भी देय होगा।	22.10.2026
श्रीमती प्रियंका देवी (पतिः भट्ट सिंह) और श्री भवानी सिंह (पिताः भातू सिंह), निवासीः रावली, वाय सिंधारी चोसीरा, तहसील – सिंधारी, बाड़मेर 344033, राजस्थान। ऋण खाता संः LABLVLLONS000005104198 और LABLCLLONS000005053418 / AP-10237208 और AP-10124394। शाखाः बालोतरा।	पट्टा संख्या 54, बुक संख्या 137, खसरा संख्या 57, वार्ड संख्या 05, ग्राम सिंधारी चोसीरा, ग्राम पंचायत सिंधारी, जिला बाड़मेर, राजस्थान 344033 के अंतर्गत आने वाली संपत्ति का समस्त टुकड़ा एवंम अंश । क्षेत्रफलः 133.83 वर्ग गज। सीमाएं: पूर्व – बाबू सिंह, पश्चिम – अर्जुन सिंह, उत्तर – अर्जुन सिंह, दक्षिण – सड़क।	मांग सूचना 12–जुलाई–2026 10 जुलाई 2026 तक देय रु.10,02,995/– (दस लाख दो हजार नौ सौ पचानवे रुपये मात्र) इसके साथ ही 11 जुलाई 2026 से भुगतान की तारीख तक का ब्याज, अन्य शुल्क और लागत भी देय होगी।	22.10.2026
श्रीमती धापू सोनी (पत्नी जेठमल सोनी), श्री जेठमल सोनी (पुत्र भंवर लाल सोनी) और किशन सोनी (पुत्र जेठमल सोनी) के कानूनी उत्तराधिकारी। पताः बरकत कॉलोनी, वार्ड नंबर 25, फलोदी, जोधपुर 342301, राजस्थान। ऋण खाता संः HL20SVLONS000005158543 और LA20SVLONS000005160107 / AP-10355328 और AP-10356909 शाखाः फलोदी।	पट्टा नंबर 1173, सीरियल नंबर 21/19, बरकत कॉलोनी, फलोदी, जिला जोधपुर, राजस्थान 342301 के अंतर्गत आने वाली संपत्ति का समस्त टुकड़ा एवंम अंश। कुल क्षेत्रफलः 78.22 वर्ग गज। सीमाः –पूर्व–रामप्यारी पत्नी भंवर लाल, पश्चिम– इस्माइल खान पुत्र नाथू खान, अयूब खान पुत्र नाथू खान, उत्तर–सड़क 13' फीट, दक्षिण – सड़क 15' फीट	मांग सूचना : 12 जुलाई 2026 10 जुलाई 2026 तक देय राशिः रु.13,38,860.88/– (तेरह लाख अड़तीस हजार आठ सौ साठ रुपये और अठासी पैसे)इसके साथ ही 11 जुलाई 2026 से भुगतान की तारीख तक का ब्याज, अन्य शुल्क और लागत भी देय होगी।	22/10/2026

स्थानः राजस्थान दिनांक : 23.10.2026 (अधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए
किसी भी सवाल के लिए, कृपया श्री सुरेंद्र सिंह (8209095689) एवं श्री अगम छापर (7849845989)से संपर्क करें।

भारतीय साधारण बीमा निगम

GIC Re

(भारत सरकार की कंपनी)

पंजीकृत कार्यालयः ''सुरक्षा'', 170 जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400020
टेलीफोनः +91–22–2286 7000 फैक्सः +91–22–2288 4010
वेबसाइटः www.gicre.in ई-मेलः investors.gic@gicre.in
सीआईएनः L67200MH1972GOI016133 आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या : 112

पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी एक्ट, २०१३ (एक्ट) की धारा १०८ तथा धारा ११० के प्रावधानों, नियम २० और नियम २२ के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम २०१४, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ के नियम ४४ के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 तथा इस संबंध में जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों, जिनमें नवीनतम सामान्य परिपत्र सं. 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 भी सम्मिलित है, और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (यथासमय प्रभावी और संशोधित किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार भारतीय साधारण बीमा निगम ("निगम") दिनांक 22 अक्टूबर, 2026 की पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित निम्नलिखित विशेष व्यवसाय की मद पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट द्वारा अपने सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है:

साधारण प्रस्ताव : निगम के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री दिवेश सेहरा (डीआईएनः 08365952) की नियुक्ति।

सदस्यों को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है –

1. निगम ने **22 अक्टूबर 2026** को ई-मेल के माध्यम से सदस्यों को नोटिस भेजने का काम पूर्ण कर लिया है।
2. व्याख्यात्मक विवरण के साथ नोटिस निगम की वेबसाइट www.gicre.in पर, ई-वोटिंग एजेंसी मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (**'एनएसडीएल'**), www.evoting.nsdl.com, की वेबसाइट, और स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
3. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'कट-ऑफ' तिथि **शुक्रवार, 9 अक्टूबर, 2026** है। जिन सदस्यों का नाम निगम के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है या डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख तक दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
4. 'एमसीए' परिपत्रों के अनुपालन में नोटिस की हार्ड कॉपी, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफा सदस्यों को नहीं भेजा गया है। इसलिए, सदस्यों को केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति को संप्रेषित करना होगा। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए निगम ने एनएसडीएल को नियुक्त किया है।
5. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश नोटिस में विनिर्दिष्ट हैं।
6. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026, को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समय)** से शुरू होगी और **शनिवार, 21 नवंबर 2026 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय)** समाप्त होगी । इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका:

भौतिक स्वामित्व	भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कॉर्पोरेशन (investors.gic@gicre.in) या आरटीए, केफिनटेक KFintech (einward.ris@kfintech.com) को एक ईमेल भेजकर अपना ईमेल पता पंजीकृत करवाएं।
डीमैट स्वामित्व	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

8. निगम ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सुश्री रागिनी चोकशी (एफसीएस 2390) और उनकी अनुपस्थिति में 'मैसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी के कंपनी सचिव' से श्री उमाशंकर हेगड़े (एसीएस 22133) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। पोस्टल बैलेट की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।
9. इसका परिणाम (संवीक्षक की रिपोर्ट सहित) निगम के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएँगे और उन्हें निगम की वेबसाइट (www.gicofindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर अपलोड किया जाएगा। ये परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों यानी एनएसई और बीएसई को भी सूचित किए जाएँगे।
10. रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य एनएसडीएल की पल्लवी म्हात्रे से evoting@nsdl.com पर ई-मेल भेजकर या **022-48867000** (टोल फ्री) पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

कृते भारतीय साधारण बीमा निगम
हस्ताक्षरित/-
सतीश कुमार
कंपनी सचिव

स्थानः मुंबई
दिनांकः22.10.2026

हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः 27 ए, विकसित औद्योगिक एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई – 600032
शाखा का पताः ए–35, एफआईईई कॉम्प्लेक्स, ओखला फेज–2, नई दिल्ली–20
वेबसाइटः www.hindujaleylandfinance.com CIN:U65993MH2008PLC384221

कब्जे की सूचना
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड (एचएलएफ) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें नीचे उल्लेखित तिथि को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर इसमें नीचे उल्लेखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था।

उधारकर्ता राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा उधारकर्ताओं और सर्वसाधारण (आम जनता) को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 4 के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इस संपत्ति का कोई लेन–देन न करें और उक्त संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार वास्ते नीचे उल्लिखित राशि, उस पर ब्याज, तथा वास्तविक भुगतान की तिथि तक कानूनी और आनुषंगिक व्यय आदि के अधीन होगा।

क्र. स.	कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/लेन का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
1	ऋण खाता संख्या DHDLDE00466 1. मेसर्स चौधरी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) (इसके निदेशक श्री धर्मवीर सिंह के माध्यम से) यहां भीः 804, प्लॉट नं. 3, द्वितीय और तीसरी मंजिल, अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली–110003 2. श्री धर्मवीर सिंह (सह–उधारकर्ता) पुत्र श्री. हरस्वरूप सिंह 3. श्री दीपक सिंह (सह–उधारकर्ता) पुत्र श्री. धर्मवीर सिंह 4. मेसर्स एस्पेक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (सह–उधारकर्ता) 5. श्रीमती. सावित्री (सह–उधारकर्ता) पत्नी श्री धर्मवीर सिंह 6. श्री हरीश चौधरी (सह–उधारकर्ता) पुत्र श्री. धर्मवीर सिंह क्र.सं. 1, 2 और 4 का पताः 803, अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली–110003 क्र.सं. 2, 3, 5 और 6 का पताः 1743, उदय चंद मार्ग, चौपाल के पास, कोटला मुबारकपुर, लोधी रोड, दिल्ली–110003	03.07.2026 और रु. 7,13,74,490.44 (रु. सात करोड़ तेरह लाख चौहत्तर हजार चार सौ नब्बे और पैसे चौवालीस मात्र) दिनांक 29.06.2026 तक	19.10.2026

अचल संपत्ति का विवरण

ऋण दस्तावेज / संपत्ति दस्तावेज में बताए अनुसार, निर्मित संपत्ति – म्युनिसिपल नंबर 804, प्लॉट नंबर 3, दूसरी और तीसरी मंजिल, 205 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली फ्रीहोल्ड भूमि पर निर्मित, खसरा नंबर 315/3, खेवट नंबर 128, खतौनी नंबर 319, अर्जुन नगर नामक कॉलोनी में, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली–110003

दिशा	चारों सीमाएं(साईट अनुसार)	दिशा	चारों सीमाएं(साईट अनुसार)
पूर्व	सम्पत्ति नं. 803	दक्षिण	सर्विस लेन
पश्चिम	सम्पत्ति नं. 805	उत्तर	मेन रोड

दिनांकः 23.10.2026 हस्ताक्षर/– अधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली कृते मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड

इंडोसोलर लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः यूनिट नं. 301, 3री मंजिल, बिल्डिंग 02, साउदर्न पार्क, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत
CIN: L18101DL2005PLC134879
ई-मेलः secretarial@waaree.com | वेबसाइटः www.indosolar.co.in | टेलीफोन नंबरः 022-6939 5500
30 सितंबर, 2026 को समाप्त तीन और छह महीनों के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(₹ लाखों में)

क्र सं.	विवरण	समाप्त तीन महीने सितंबर 30,2026 (अलेखापरीक्षित)	जून 30, 2026 (अलेखापरीक्षित)	सितंबर 30, 2025 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त छह महीने सितंबर 30,2026 (अलेखापरीक्षित)	सितंबर 30, 2025 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष मार्च 31, 2026 (लेखापरीक्षित)
1	कुल आय	15,716.68	7,674.84	20,255.90	23,391.52	39,855.53	68,136.54
2	साधारण गतिविधियों से अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से पूर्व)	671.02	4,747.02	6,113.68	5,418.04	11,629.43	23,428.46
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	671.02	4,747.02	6,113.68	5,418.04	11,629.43	23,428.46
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	501.85	3,661.93	4,633.76	4,163.78	16,313.02	24,659.91
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [(अवधि के लिए लाभ या (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल)]	498.18	3,661.93	4,633.76	4,160.11	16,313.02	24,659.29
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है	-	-	-	-	-	24,540.41
8	प्रति शेयर आय (₹ 10/- प्रत्येक) (तिमाही के लिए वार्षिकीकृत नहीं)	-	-	-	-	-	-
	(क) मूल (₹ में)	1.20	8.80	11.14	10.00	39.21	59.27
	(ख) तरल (₹ में)	1.20	8.80	11.14	10.00	39.21	59.27

टिप्पणियाँ:
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तीन और छह महीनों के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तीन और छह महीनों के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है और यह कंपनी की वेबसाइट www.indosoar.co.in पर भी उपलब्ध है।
2. 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तीन और छह महीनों के कंपनी के उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और 21 अक्टूबर, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया तथा अनुमोदित किया गया है।
3. उपरोक्त परिणाम कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुपालन में हैं।

कृते, इंडोसोलर लिमिटेड
हस्ता./-
हितेश पी मेहता
निदेशक
डीआईएनः 00207506

स्थानः मुंबई
दिनांकः 21 अक्टूबर, 2026

ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

ORIX

(पूर्व OAIS ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
(ओरिक्स ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडियरी)
रजिस्टर्ड ऑफिसः प्लॉट नं. 94, मरोल को–ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400059. टेलीफोनः 91 22 2859 5093/6707 0100। फैक्सः +91 22 2852 8549
ईमेलः info@orixindia.com | www.orixindia.com | CIN: U74900MH2006PLC163937

(वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस)

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं ने ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋणों को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए तिथि 05.01.2026 के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को उनके द्वारा देय राशि, निम्नलिखित तालिका में विशेष रूप से वर्णित जारी किए गए संबंधित नोटिसों के अनुसार उल्लेख किया गया है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और यह उनकी संबंधित तिथियों से संविदात्मक दर के अनुसार लिया जाएगा।

क्र. सं.	ऋण खाता नं.	ऋण का प्रकार	कर्जदार का नाम	13(2) नोटिस के अनुसार बकाया	नोटिस तिथि	एनपीए तिथि
1	LN0000000014737	एसएमई सुरक्षित ऋण	1. ललित एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड 2. शीना महेंद्रू (उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता के साथ–साथ स्वर्गीय ललित महेंद्रू की उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से) 3. विमल महेंद्रू (उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता के साथ–साथ स्वर्गीय ललित महेंद्रू के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से) 4. रीना महेंद्रू (उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता के साथ–साथ स्वर्गीय ललित महेंद्रू की उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से) 5. लोविश महेंद्रू (उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता के साथ–साथ स्वर्गीय ललित महेंद्रू के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से) 6. लोविश महेंद्रू	रु. 66,82,114.39/-	17.10. 2026	05.10. 2026
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः आइटम 1: संपत्ति संख्या जी–3 का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 140 वर्ग फुट भूतल, संपत्ति संख्या 8582–84 और 8586–88 का हिस्सा, बिमल मेंशन, आराकशन रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली, और साइट के अनुसार, इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः अन्य की दुकान, दक्षिणः अन्य की दुकान, पूर्वः प्रवेश द्वार, पश्चिमः अन्य की दुकान आइटम 2: संपत्ति संख्या जी–5 का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग फुट है, भूतल, संपत्ति संख्या 8582–84 और 8586–88 का हिस्सा, बिमल मेंशन, आराकशन रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली, और साइट के अनुसार, इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः अन्य की दुकान, दक्षिणः अन्य की दुकान, पूर्वः प्रवेश द्वार, पश्चिमः अन्य की संपत्ति आइटम 3: संपत्ति संख्या जी–7 का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग फुट है, भूतल, संपत्ति संख्या 8582–84 और 8586–88 का हिस्सा, बिमल मेंशन, आराकशन रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली, और साइट के अनुसार, इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः अन्य की दुकान, दक्षिणः अन्य की दुकान, पूर्वः प्रवेश द्वार, पश्चिमः अन्य की संपत्ति आइटम 4: संपत्ति संख्या जी–9 का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 190 वर्ग फुट है, भूतल, जो इस संपत्ति संख्या 8582–84 और 8586–88 का हिस्सा, बिमल मेंशन, आराकशन रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली, और साइट के अनुसार, इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः प्रवेश द्वार, दक्षिणः अन्य की दुकान, पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः प्रवेश द्वार आइटम 5: पूर्ण बेसमेंट का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल लगभग 1320 वर्ग फुट संपत्ति संख्या 8582–84 और 8586–88 का हिस्सा बिमल मेंशन, आराकशन रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली, और साइट के अनुसार, इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः 30 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः 30 फुट चौड़ी सड़क, पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः अन्य की संपत्ति					
2	LN0000000006665	एसएमई सुरक्षित ऋण	1. नगेश कुमार 2. अनिता देवी 3. मैसर्स नगेश कुमार	रु. 93,16,544.89/-	17.10. 2026	05.10. 2026
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः निर्मित संपत्ति संख्या RZ-195-A का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग गज यानी 209.025 वर्ग मीटर इसमें छत/टेरेस के सभी अधिकार शामिल हैं, जो खसरा नंबर 51 के अंतर्गत, गांव रोशन पुरा के रेवेन्यू एस्टेट में स्थित रोशन पुरा नामक आबादी कॉलोनी में, पूर्व कृष्ण विहार, नजफगढ़, नई दिल्ली – 110043, और इस संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः 20 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिमः 8 फुट चौड़ी गली, उत्तरः संपत्ति का हिस्सा, दक्षिणः अन्य संपत्ति					

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को देय राशि का भुगतान उनकी संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, शुल्कों आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होंगेसरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14, ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को देय राशि का अनुभव कराने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति को बिक्री/पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

दिनांक 17.10.2026 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002.
शाखा कार्यालय : ई–44, भू तल, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर–3, निकट सेक्टर–16 मेट्रो स्टेशन तथा मल्टीलेवल पार्किंग, नोएडा

सार्वजनिक सूचना – अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए नीलामी

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के तहत] वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल सम्पत्ति/यों की बिक्री हेतु सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानूनी वारिस/सों प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति/यां, जिनका कब्जा आईएसएफसी (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह–कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 13–11–2026 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे वर्णित की गई है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी राशि युक्त सीलबंद लिफाफा आईएफएससी के प्राधिकृत अधिकारी के पास 12–11–2026 को अथवा पूर्व अप. 5 बजे तक, ईएमडी/भुगतान डीडी/चैक/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा होगा, शाखा/कार्पोरेट कार्यालय : ई–44, भू तल, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर–3, निकट सेक्टर–16 मेट्रो स्टेशन तथा मल्टीलेवल पार्किंग, नोएडा में जमा करना होगा।

ऋण खाता सं. तथा कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) /कानूनी वारिस(सों)/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि तक बकाया राशि	कब्जा का प्रकार (प्रलक्षित/ भौतिक के तहत)	सुरक्षित मूल्य धरोहर राशि
श्रीमती मगन देवी पत्नी करतार सिंह, श्री प्रशांत पुत्र करतार सिंह , श्री प्रशांत पुत्र करतार सिंह LA11VLLONS000005099253/AP-10236376	25–11–2025 रु. 20,92,330/– (रूपये बीस लाख बानवे हजार तीन सौ तीस मात्र)	सांकेतिक कब्जा	रू. 13,60,000/– रू. 1,36,000/–

सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : खेवत संख्या 86//73 खतौनी संख्या 119 मु. संख्या 23 किला संख्या 4/2(0–17),5(8–0),6(8–0), 7/1(0–17), 15(8–0), 17/1(3– 7), 25(8–0)मु.सं. 24, किला संख्या 1/1(3–19),9/2(4–0),10(7–13),11(7–13),12(8–0),13/1(4–0),18/2(6–7)19(8 0),20(7–13),21/1(3–5),21/2(4–8),22(8–0),23/1(3–5),23/2(3–)मु.सं. 27,किला संख्या 10/1(0–18) मु. सं. 28, किला सं. 6/1/2(7–0) मु. सं. 37, किला सं. 1/2(5–12),10/1(2–1),10/2(5–12),मु. सं. 37, किला सं. 11/1(4–7),11/2(3–7),21/2/1(4–18) मु. सं. 38 किला सं. 2/1/2(0–5), 2/2/2(1–7), 3/1/2(0–11), 3/2/2(0–16), 4/1/2(0–14), 6/1(1–7), 6/2(2–13), 6/3(4–0), 7/1(1– 5),8/1(1–7), 9/1/1(1–6), 15/2(6–2), 25/2(0–5), मु. सं. 43, किला सं. 1/2(0–6), 131/1(0–13) किते 44 रकबा 172 कनाल 18 मरले में से बकदर रकबा 12 कनाल 18 मरले जमाबंदी 2020–2021 के अनुसार, रकबा 30 मरले (915 गज), मोजा– बदरोला, उप तहसील– दयालपुर, जिला फरीदाबाद हरियाणा सीमाः– उत्तरः प्रवीण पुत्र टेकचंद का मकान, दक्षिणः इंद्रतीत पुत्र रूमाल का मकान, पूर्वः सड़क 13 फीट चौड़ी, पश्चिमः जमीन,

नियम और शर्तें : 1) निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र तथा बिक्री के नियम और शर्तें शाखा कार्यालय : ई–44, भू तल, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर–3, निकट सेक्टर–16 मेट्रो स्टेशन तथा मल्टीलेवल पार्किंग, नोएडा से प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। 2) अचल सम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 3) उपरोक्त सम्पत्ति/यों के क्रय हेतु प्रस्तुत सभी बोलियों/निविदाओं के साथ उपरिवर्णित अनुसार धरोहर राशि संलग्न करनी होगी। ईएमडी राशि "इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में होनी चाहिए। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि, नीलामी के बाद, वापस की जाएगी। 4) उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा परंतु शर्त यह है कि वह बोली देने हेतु कानूनी रूप से योग्य होना चाहिए और कि बोली राशि सुरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी को उच्चतम बोली अस्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा, यदि प्रस्तावित राशि उसको स्वीकार करने हेतु अपर्याप्त प्रतीत होती है। 5) भविष्यलक्षी बोलीदाता भेंट का समय पूर्व निर्धारित कर सम्पत्ति का निरीक्षण 10–11–2026 को पूर्वा. 11.00 बजे तथा अप. 5.00 बजे के बीच कर सकते हैं। 6) सफल बोल. ीदाता घोषित किए जाने वाले व्यक्ति को, घोषणा के तत्काल पश्चात, क्रय रशि/उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत राशि, जिसमें ईएमडी राशि सम्मिलित होगी, प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के भीतर जमा करनी होगी और इसके जमा करने में चूक करने पर सम्पत्ति नई नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी। 7) उपरोक्तानुसार आरंभिक राशि जमा करने के बाद, क्रय राशि की शेष राशि, क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सम्पत्ति की बिक्री पुष्टि की तिथि से, उस दिन को छोड़कर, 15वें दिन को अथवा पूर्व, या 15वां दिन रविवार या अवकाश दिवस होने की स्थिति में 15वें दिन के बाद पहले कार्यदिवस को अदा करनी होगी। 8) उपरिवर्णित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति नई नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी। जमा की जा चुकी राशि ईएमडी सहित इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति के संबंध में चूककर्ता क्रेता के सभी दावे समाप्त माने जाएंगे। 9) उपरोक्त बिक्री आईएसएफसी द्वारा अंतिम स्वीकृति के अधीन होगी, इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि सांविधिक और अन्य बकाया जैसेकि बिक्री/सम्पत्ति कर, बिजली बकाया तथा सोसायटी बकाया की जांच/पुष्टि संबंधित विभागों/कार्यालयों से कर लें। कम्पनी सम्पत्ति पर किसी बकाया के भुगतान की जिम्मेदारी नहीं लेगी। 10) 1 प्रतिशत टीडीएस, यदि कोई, उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम घोषित बोली राशि पर देय होगा। उच्चतम बोलीदाता को भुगतान कम्पनी के पैन में करना होगा तथा चालान की प्रति कम्पनी में प्रस्तुत करनी होगी। 11) बिक्री पूर्णतया इस विज्ञापन में और निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 12) सफल बोलीदाता/क्रेता को बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाने के लिए कानून के अनुसार लागू सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अनुषंगी खर्चे वहन करने होंगे। 13) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए निविदा प्रास्थगित/स्थगित/निरस्त करने और बिना कोई पूर्व सूचना दिए इस बिक्री के नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। 14) इच्छुक बोलीदाता श्री सुधीर तोमर से मोबाइल नंबर +91 – 98184 60101 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को 15 दिन का बिक्री नोटिस

एतद्द्वारा उपरिवर्णित कर्जदार/बंधकदाता/गारंटरों को सूचना दी जाती है कि वे धारा 13(2) के तहत मांग सूचना में वर्णितानुसार राशि उस पर अद्यतन ब्याज और खर्चों सहित, नीलामी की तिथि से पहले चुकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम की जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई, आपसे ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

तिथि : 23–10–2026 वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लि. प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली/एनसीआर श्री सुधीर तोमर मोबाइल नंबर +91 – 98184 60101

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola

कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सी 54 और सी 55, सुपर बी – 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600 032, चंडीगढ़ शाखाः एस.सी.ओ. संख्या 350–351–352, तीसरी मंजिल, सेक्टर 34 ए, चंडीगढ़–160022। नरवाना शाखा – ग्राउंड फ्लोर, पटियाला रोड, नजदीक आईटीआई, नरवाना, जिंद 126116

कब्जा सूचना – नियम 8 (1) के अंतर्गत

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, **मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद अधिनियम का उल्लेख किया गया है) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित [प्रवर्तन] नियम, 2002 की धारा 13[12] के साथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋणकर्ताओं, जिनके नाम नीचे कॉलम बी, में दर्शाए गए हैं, को कॉलम सी, में निर्दिष्ट तिथियों पर उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे कॉलम डी, में दर्शाई गई बकाया राशि को ब्याज सहित चुकाने का आदेश देते हुए मांग नोटिस जारी किए हैं।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कंपनी के पास गिरवी रखी संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है, जिनका विवरण नीचे कॉलम [ई] में दिया गया है, और यह कब्जा कॉलम [एफ] में उल्लिखित संबंधित तिथियों को अधिनियम की धारा 13[4] और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के नियम 8 & 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को इसके द्वारा नीचे उल्लिखित संपत्तियों का लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और ऐसा कोई भी लेन–देन मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के कॉलम ख्डी, में उल्लिखित राशि के साथ ब्याज और अन्य शुल्कों के अधीन होगा। प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13[8] के तहत, उधारकर्ता बिक्री की अधिसूचना से पहले सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सहित पूरे बकाया का भुगतान करके सुरक्षित संपत्ति को भुना सकते हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता के नाम और पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1	ऋण खाता संख्या – HE01DDD00000091739 ऋणी और सह–ऋणीः– 1. सुरेश पुत्र किशोरीलाल, 2. सुनीता पत्नी सुरेश, 3. मोहित पुत्र सुरेश, 4. मेसर्स सुरेश किराना स्टोर अपने स्वामित्व के माध्यम से (सुरेश), सभी का पता – # 270, धर्म सिंह कॉलोनी 18, अमरगढ़ 80, नरवाना, जिंद, हरियाणा, 126116, हरियाणा। 5. मेसर्स सुरेश किराना स्टोर अपने स्वामित्व के माध्यम से (सुरेश), अन्य पताः– बसंती माता मंदिर के पास, तोहाना रोड, नरवाना, 126116, हरियाणा।	23/04/2026	रूपयें 20,25,123/– 23/04/ 2026 तक ब्याज सहित	अचल संपत्ति वह टुकड़ा और पार्सल जो संपत्ति के हिस्से 100 वर्ग गज में मापी गई है, धर्म सिंह कॉलोनी, नरवाना, तहसील नरवाना, जिला जिंद, एमसी क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित है। पंजीकृत स्थानांतरण वसीका संख्या 1895 दिनांक 21–07–2016 के साथ।	21/10/ 2026

दिनांकः 23/10/2026 अधिकृत अधिकारी : मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट
स्थानः चंडीगढ़ / नरवाना, एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कसारा मार्गावर १५ डबे लोकलच्या वाढीव फेऱ्या

१५ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी

लोकसत्ता प्रतिनिधी



मुंबई : मध्य रेल्वेच्या कसारा मार्गावरील प्रवाशांना १५ नोव्हेंबरपासून १५ डब्यांच्या लोकलच्या वाढीव फेऱ्यांचा लाभ मिळणार आहे. या मार्गावरील १२ डब्यांच्या १८ लोकल फेऱ्यांचे रूपांतर १५ डब्यांच्या लोकलमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकलच्या एकूण फेऱ्यांची संख्या कायम ठेवून प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता वाढविण्याचा मध्य रेल्वेचा प्रयत्न आहे. या लोकलचे सुधारित वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

कसारा दिशेकडे प्रामुख्याने १२ डब्यांच्या लोकल धावतात. त्यांचे १५ डब्यांत रूपांतर झाल्यास प्रत्येक फेरीत अधिक प्रवाशांना प्रवास करता येणार असून, विशेषतः गर्दीच्या वेळी ताण कमी होण्यास मदत होईल. मध्य रेल्वेने काही महिन्यांपूर्वी कर्जत, बदलापूर आणि अंबरनाथ मार्गावरील काही १२ डब्यांच्या सेवांचे १५ डब्यांत रूपांतर केले. त्यानंतर आता कसारा मार्गावरील सेवांचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार करण्याचे नियोजन केले आहे.

कसारा मार्गावर मध्य रेल्वेने १५ ऑगस्टपासून १२ डब्यांच्या २२ लोकल फेऱ्यांचे रूपांतर १५ डब्यांच्या लोकलमध्ये केले होते. त्यामुळे या लोकल फेऱ्यांची संख्या ३२ वरून ५४ झाली होती. आता या मार्गावरील आणखी १८ फेऱ्यांचे रूपांतर होणार असल्याने ही संख्या ७२ वर पोहोचणार आहे. विशेष म्हणजे, मध्य रेल्वेच्या एकूण १,८२० लोकल फेऱ्यांमध्ये कोणतीही वाढ होणार नसून, सध्याच्या फेऱ्यांमधूनच अधिक प्रवाशांची वाहतूक करण्याचे नियोजन आहे. १२ डब्यांच्या तुलनेत १५ डब्यांच्या लोकलमधून सुमारे २५ टक्के अधिक प्रवाशांची वाहतूक करता येते.

हल्ल्यापूर्वी हॉटेलमध्ये आरोपींचा सराव

टायगर श्रॉफ गोळीबारप्रकरणी पोलीस तपासातील माहिती

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात शस्त्रपुरवठा आणि हल्ल्याच्या कटात सहभागी असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या दोन पुरुषांसह दोन महिलांना गुरुवार, २२ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील किल्ला न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने चौघांना २६ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. दरम्यान, गोळीबार करणारे आरोपींनी हल्ल्यापूर्वी अंधेरी पूर्व येथील आर. आर. रेसिडेन्सी या हॉटेलमध्ये शस्त्र हाताळणी आणि सराव केल्याची माहिती पोलीस तपासात समोर आली आहे.

कुणाल सिंह (२१), सुमित सुरहाळ (१९), राधा वर्मा (२३) आणि बबिता राव (२३) अशी त्यांची नावे असून, शस्त्र कुठून आणले, ते गोळीबार करणाऱ्यांपर्यंत कसे पोहोचवले आणि या कटात प्रत्येकाची नेमकी भूमिका काय होती, याचा तपास पोलीस करीत आहेत. हल्ल्यासाठी वापरण्यात आलेले पिस्तूल आणि काडतुसे मिळविण्याच्या प्रक्रियेत या चौघांचा सहभाग होता, असेही चौकशीत उघड झाले आहे.

पिस्तूल आणि २० काडतुसे अमृतसर येथून आणण्यात आल्याचा आणि त्यानंतर शस्त्र मुंबईत पोहोचविण्यात आल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे. मात्र, गोळीबारात वापरलेले शस्त्र अद्याप हस्तगत झालेले नसल्याने त्याचा माग काढणे आणि शस्त्रपुरवठ्याची साखळी उघड करणे हे पोलिसांसमोरील प्रमुख आव्हान आहे. गोळीबारानंतर समाजमाध्यमांवर प्रसारित झालेल्या धमकीच्या ध्वनिमुद्रणाचाही पोलीस तपास करीत आहेत.



खोली क्रमांक २०१ मध्ये शस्त्र हाताळणी

या प्रकरणातील आरोपींनी हल्ल्यापूर्वीचे पाच दिवस अंधेरी पूर्व येथील आर. आर. रेसिडेन्सी या हॉटेलमध्ये ओळख लपवून मुक्काम केल्याची माहिती समोर आली आहे. हॉटेलमधील खोली क्रमांक २०१ मध्ये शस्त्र हाताळताना चुकून गोळी सुटून ती पलंगाला लागल्याचेही पोलिसांना आढळून आले. परंतु त्यावेळी हॉटेल कर्मचाऱ्यांना याची कल्पना नव्हती. याशिवाय, हल्ल्यापूर्वी मुंबईजवळील एका ठिकाणी शस्त्र चालविण्याचा सराव केल्याचा तपशीलही तपासातून पुढे आला आहे. त्या ठिकाणी एका आरोपीने दोन, तर दुसऱ्याने एक गोळी झाडल्याचे सांगण्यात आले आहे.

२६ ऑक्टोबरपर्यंत आरोपींना पोलीस कोठडी

सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने शस्त्र जप्त करणे, आरोपींची परस्परांशी असलेली संपर्कसाखळी तपासणे आणि गुन्ह्यामागील कटाचा उलगडा करण्यासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी मात्र आरोपी गोळीबाराच्या ठिकाणी उपस्थित असल्याचा पुरावा नसल्याचा युक्तिवाद केला. केवळ संशयावरुन अटक करणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी पोलीस कोठडीऐवजी न्यायालयीन कोठडी देण्याची मागणी केली. परंतु त्यांची मागणी नाकारत न्यायालयाने आरोपींना २६ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.

बेकायदा अटकेप्रकरणी राज्य सरकारला तडाखा

पाच लाखांच्या भरपाईचे न्यायालयाचे आदेश

लोकसत्ता प्रतिनिधी



मुंबई : विकासकाच्या हितासाठी पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करून व्यावसायिक बिपिन अग्रवाल यांना खंडणीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचे गंभीर निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच अग्रवाल यांची ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी झालेली अटक बेकायदा ठरवून त्यांना पाच लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेशही राज्य सरकारला दिले. न्यायालयाने याप्रकरणी संबंधित पोलिस उपनिरीक्षकासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आणि दंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचेही आदेशही दिले.

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. भरपाईची रक्कम दोन आठवड्यांत देण्याचेही स्पष्ट केले. ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा पर्याय देखील न्यायालयाने सरकारसाठी खुला ठेवला. पोलिसांच्या तपासाची नोंदवही, एफआयआर आणि अटक अर्जातील नोंदीतील विसंगती लक्षात घेता अटकेनंतर एफआयआर नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे दिसते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

प्रकरण काय ?

वाळकेश्वर येथील व्यावसायिक अग्रवाल यांच्या सासू आसावरी कुलकर्णी यांची अंधेरीतील 'न्यू आरती को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी'मधील सदनिका पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत होती. मुखत्यारपत्र मिळाल्याने अग्रवाल हे विकासकांशी व्यवहाराबाबत चर्चा करत होते. ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी सुमारे एक कोटी ६४ लाख रुपयांच्या विक्रीव्यवहारावर चर्चा झाली आणि विकासकांनी आगाऊ रक्कम म्हणून दोन लाख रुपये दिले. त्यानंतर खंडणीप्रकरणी अग्रवाल यांना अटक झाली होती.

मोफत घर म्हणजे अस्वच्छतेसाठीचा परवाना नाही

झोपडीवासीयांच्या वर्तनावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

लोकसत्ता प्रतिनिधी

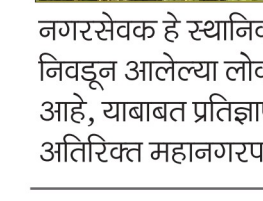
मुंबई : सार्वजनिक रस्ते, पदपथ आणि उड्डाणपुलांसह मेट्रोच्या पुलांखाली वारंवार कचरा टाकणाऱ्या आणि अस्वच्छता पसरवणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या वर्तनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, वारंवार कचरा टाकून परिसर गलिच्छ ठेवणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना आळा घालण्यासाठी त्यांचे कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाचे हक्क रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई करण्याचा विचार करा, असे आदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) दिले.

सरकारी किंवा खासगी जमिनीवर अतिक्रमण करून कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाचा हक्क मिळाला, याचा अर्थ त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याचा परवाना मिळाला असा होत नाही, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुनावले. अशा व्यक्तींविरुद्ध दोनपेक्षा जास्त वेळा कारवाई झाली असेल, तर त्यांचे कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाचे हक्क रद्द करण्याची कारवाई करणे योग्य ठरेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीमुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या निमित्ताने न्यायालयाने हे आदेश दिले.

तत्पूर्वी, महापालिकेच्यावतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात अंधेरीच्या के-पश्चिम विभागामध्ये कचरा साफ करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील देण्यात आला होता. त्यात मुंबईतील ४२ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्टी भागात राहते आणि तिथे स्वच्छता पथकांना स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि सुरक्षेच्या धोक्यांचा सामना करावा लागतो, असा दावा महापालिकेने न्यायालयासमोर केला.

'लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाबाबत प्रतिज्ञापत्र द्या'

कुठेही कचरा टाकायचा, अनधिकृत बांधकामांवर कितीही मजले चढवायचे हे पाहता झोपडपट्टीवासीयांसाठी कायद्याचे राज्यच अस्तित्वात नाही, असे चित्र निर्माण झाल्याची टीका न्यायालयाने केली. त्याचवेळी, जागोजागी टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येप्रकरणी नगरसेवकांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची सूचना त्यांनी महापालिकेला केली.



नगरसेवक हे स्थानिक नागरिकांच्या संपर्कात असतात, असे नमूद करून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा कचरा व्यवस्थापनामध्ये किती सहभाग आहे, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांना दिले.

हवा प्रदूषण करणाऱ्यांवर पालिकेची कडक कारवाई

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी महापालिकेकडून २०२४ मध्ये २८ मुद्द्यांची मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली होती. यंदाही त्याचे पालन करणे बंधनकारक असून या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. रस्त्यावरील धुळीवर नियंत्रण मिळविण्यात पालिकेला अपेक्षित यश मिळाले नसले तरीही पालिकेकडून त्यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मुंबईत हवा प्रदूषणाबाबत केलेल्या उपाययोजना आणि त्याचा परिणाम याबाबत माहिती देण्यासाठी डॉ. ढाकणे यांनी गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. गेल्या काही वर्षांपासून हवा गुणवत्ता निर्देशांकात सातत्याने सुधारणा होत असल्याचाही मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला. तसेच 'समीर ॲप'द्वारे प्रसिद्ध होणारी आकडेवारी गृहीत धरण्याचे आवाहन केले.

नवीन धूळ शोष यंत्रे

रस्त्यावर धुळीचे साम्राज्य पसरू नये, यासाठी यंदा अद्ययावत २९ धूळ शोष यंत्रे खरेदी करण्यात आली आहेत. त्यातील २६ यंत्रे कार्यान्वित झाली असून उर्वरित यंत्रे पुढील तीन दिवसांत कार्यान्वित होतील. बेकऱ्यांवर लवकरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे ढाकणे यांनी स्पष्ट केले.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांना यंदाही ३१ हजार दिवाळी बोनस?

राखीव निधी ठेवण्याची समितीच्या बैठकीत मागणी

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना यंदा दिवाळी बोनस देण्यासाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात येत असल्याची माहिती बेस्ट प्रशासनाने गुरुवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीत दिली. यावेळी समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी बोनससाठी पुरेसा निधी राखून ठेवण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली.

बेस्ट उपक्रमाच्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस मिळणार का, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या मुद्द्यावर बोलताना गणाचार्य यांनी बोनससाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. यावर उत्तर देताना बेस्ट प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी, गेल्या वर्षी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ३१ हजार रुपयांचा दिवाळी बोनस देण्यात आल्याचे सांगतानाच यंदाही त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, यंदा कर्मचाऱ्यांना नेमका किती आणि कधी बोनस मिळणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदीनंतर बोनसची रक्कम व वितरणाबाबत प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई विमानतळावर एक कोटीचे कोकेन जप्त

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शरीरात अमली पदार्थ लपवून भारतात कोकेन घेऊन येणाऱ्या एका झांबियाच्या महिलेला महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाच्या (डीआरआय) मुंबई विभागाने अटक केली. ११ कॅप्सूलमध्ये दडवून आणलेले एकूण १९० ग्रॅम कोकेन तिच्याकडून जप्त करण्यात आले. या अमली पदार्थांची किंमत सुमारे एक कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.

डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी २० ऑक्टोबर रोजी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे मुंबई विमानतळावर या महिलेची तपासणी केली. ती सिएरा लिओनमधील फ्रीटाउन येथून इथिओपियातील अदिस अबाबामार्गे मुंबईत आली होती. तिच्या शरीरात कॅप्सूलच्या स्वरूपात अमली पदार्थ लपवून आणण्यात येत असल्याचा संशय अधिकाऱ्यांना होता. त्यानंतर तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. २० आणि २१ ऑक्टोबरदरम्यान करण्यात आलेल्या वैद्यकीय तपासणीत तिच्या शरीरातून पांढऱ्या रंगाची पावडर असलेल्या ११ कॅप्सूल बाहेर काढण्यात आल्या. या पदार्थाची प्राथमिक चाचणी केली असता त्यामध्ये कोकेन असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर संबंधित अमली पदार्थ जप्त करून महिलेला अमली पदार्थ आणि मनःप्रभावी पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली. या महिलेचा तस्करीच्या व्यापक जाळ्याशी संबंध आहे का, तिला हे कोकेन कोणी दिले आणि मुंबईत किंवा देशातील अन्य ठिकाणी ते कोणाला पोहोचवायचे होते, याचा शोध घेतला जात आहे.

'अमली पदार्थमुक्ती'साठी मोटारसायकल रॅली

मुंबई : राष्ट्रीय एकता दिनाचे औचित्य साधून देशात 'अमली पदार्थमुक्ती'साठी राष्ट्रीय मोटारसायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते शनिवार, २४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९.३० वाजता दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राइव्ह परिसरात या रॅलीची सुरुवात होणार आहे.

सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त ३१ ऑक्टोबर हा दिवस राष्ट्रीय एकता दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्त केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली देशभरातील पोलीस दलांच्या दुचाकीस्वारांची रॅली काढण्यात येत आहे. या अंतर्गत दक्षिण भारतातील विविध पोलीस दलांची पथके २३ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत एकत्र येऊन २४ तारखेला महाराष्ट्रातील रॅलीत सहभागी होतील.

जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
(भारत सरकारची कंपनी)
आपत्काले रक्षिष्यामि GIC Re
नोंदणीकृत कार्यालय: 'सुरक्षा', १७०, जे. टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई- ४०००२०
दूरध्वनी: +९१-२२-२२८६ ७००० फॅक्स: +९१-२२-२२८८ ४०१०
संकेतस्थळ: www.gicre.in ईमेल: investors.gic@gicre.in
सीआयएन: L67200MH1972GOI016133 IRDAI REG. NO.: 112

पोस्टल बॅलेट आणि रिमोट ई-व्होटिंगची सूचना

सर्व सदस्यांना याद्वारे सूचित केले जाते की, कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) च्या कलम १०८ आणि कलम ११० च्या तरतुदींनुसार, तसेच सहवाचित कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० आणि २२ सह, तसेच सहवाचित भारतातील प्रतिभूती आणि एक्सचेंज बोर्ड (लिस्टिंग बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ चे नियमन तसेच सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० दि. ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दि. १३ एप्रिल २०२० या आणि या संदर्भातील इतर संबंधित परिपत्रकांच्या तरतुदींनुसार, सर्वात नवीन म्हणजे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेले सामान्य परिपत्रक क्रमांक ०३/२०२५ दि. २२ सप्टेंबर २०२५ (एकत्रितपणे याला एमसीए परिपत्रक असे संबोधित) आणि इतर लागू कायदे, नियम आणि नियमावली (त्यातील कोणतीही कायदेशीर सुधारणा किंवा पुन्हा अंमलबजावणी असो, जी सद्यस्थितीत लागू आहे आणि वेळोवेळी सुधारित केली गेली आहे),त्याचे पालन करत जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉर्पोरेशन) हे सदस्यांकडून पुढील विशेष व्यवसायाच्या विषयावर मंजुरी घेण्याचा विचार करत आहे, जे **२२ ऑक्टोबर २०२६** रोजीच्या पोस्टल बॅलट सूचनेमध्ये नमूद केलेले आहे, आणि सदस्यांच्या मंजुरीसाठी पोस्टल बॅलटद्वारे रिमोट ई-वोटिंगद्साठी सादर केले जात आहे.

सामान्य ठराव: श्री दिवेश सेहरा यांची शासन प्रतिनिधी संचालक (DIN: ०८३६५९५२) म्हणून कॉर्पोरेशनच्या बोर्डावर नेमणूक.

सदस्यांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की:

१. महामंडळाने **२२ ऑक्टोबर २०२६** रोजी ई-मेलद्वारे सदस्यांना सूचना पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
२. स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्रासह (Explanatory Statement) ही सूचना महामंडळाच्या www.gicre.in या संकेतस्थळावर, ई-व्होटिंग एजन्सी मेसर्स नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('NSDL') च्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर, तसेच स्टॉक एक्सचेंजचे संकेतस्थळ म्हणजेच नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) www.nseindia.com आणि बीएसई लिमिटेड (BSE) www.bseindia.com वर उपलब्ध आहे.
३. सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांची पात्रता निश्चित करण्याची 'कट-ऑफ' तारीख **शुक्रवार, ९ ऑक्टोबर २०२६** ही आहे. कट-ऑफ तारखेनुसार महामंडळाच्या सभासद रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरींनी ठेवलेल्या बेनेफिशियल ओनर्सच्या (लाभार्थी मालक) रजिस्टरमध्ये ज्या सदस्यांची नावे नोंदवली गेली आहेत, केवळ तेच सदस्य रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील.
४. एमसीए (MCA) परिपत्रकांच्या अनुपालनानुसार, सूचनेची हार्ड कॉपी, पोस्टल बॅलेट फॉर्म आणि प्रीपेड बिझनेस रिप्लाय लिफाफा सदस्यांना पाठवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सदस्यांनी आपली संमती किंवा असंमती केवळ रिमोट ई-व्होटिंग सिस्टीमद्वारेच कळवणे आवश्यक आहे. रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाने NSDL ची नियुक्ती केली आहे.
५. रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रियेची सविस्तर पद्धत/सूचना या सूचनेमध्ये देण्यात आली आहे.
६. रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी **शुक्रवार, २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता (IST)** सुरू होईल आणि **शनिवार, २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संध्याकाळी ०५:०० वाजता (IST)** समाप्त होईल. यानंतर NSDL कडून रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय केले जाईल. सदस्याने एकदा ठरावावर मतदान केल्यानंतर, त्यात नंतर कोणताही बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
७. ई-मेल आयडी नोंदणीकृत / अद्ययावत करण्याची पद्धत:

भौतिक भागधारक	ज्या सदस्यांचे शेअर्स भौतिक (Physical) स्वरूपात आहेत, त्यांनी महामंडळाला (investors.gic@gicre.in) किंवा आरटीए, केफिनटेक (einward.ris@kfintech.com) ला ई-मेल पाठवून आपला ई-मेल आयडी नोंदवून घ्यावा.
डीमॅट भागधारक	ज्या सदस्यांचे शेअर्स डीमॅटेरिअलाइज्ड (Demat) स्वरूपात आहेत, त्यांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे आपला ई-मेल आयडी नोंदवावा / अद्ययावत करावा.

८. कंपनीने श्रीमती रागिणी चोकशी (FCS २३९०) यांची आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री उमाशंकर हेडगे (ACS २२१३३) यांची M/s. रागिणी चोकशी अँड को., कंपनी सिक्रेटरीजकडून, पोस्टल बॅलट प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंगद्वारे प्रामाणिक आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी छाननीकर्ता म्हणून नियुक्त केले आहे. पोस्टल बॅलटच्या वैधतेविषयी छाननीकर्त्यांचे निर्णय अंतिम ठरतील.
९. परिणाम (छाननीकर्त्यांच्या अहवालासह) प्रदर्शित केले जातील, जे कॉर्पोरेशनच्या नोंदणीकृत कार्यालयात उपलब्ध केले जातील आणि ते कॉर्पोरेशनच्या वेबसाइटवर (www.gicre.in) तसेच एनएसडीएलच्या वेबसाइटवर (www.evoting.nsdl.com) अपलोड केले जातील. हे परिणाम स्टॉक एक्सचेंजेस अर्थात एनएसई आणि बीएसई यांना देखील एकाच वेळी कळविले जातील.
१०. रिमोट ई-व्होटिंग सिस्टीमद्वारे मतदान करण्यासंबंधी काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास, सदस्य NSDL च्या पल्लवी म्हात्रे यांच्याशी evoting@nsdl.com वर ई-मेल पाठवून किंवा **०२२-४८८६७०००** (टोल फ्री) या क्रमांकावर कॉल करून संपर्क साधू शकतात.

भारतीय साधारण विमा महामंडळाकरिता
स्वाक्षरी/-
स्थान: मुंबई — **सतीश कुमार**
दिनांक: २२.१०.२०२६ — **कंपनी सचिव**

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
EXTRA-ORDINARY APPELLATE JURISDICTION
SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) No.22985 OF 2026

SADANAND SARVANKAR ...Petitioner(s)/Appellant(s)
VERSUS
MAHESH BALIRAM SAWANT AND OTHERS ....Respondent(s)

To,
1 SUDHIR BANDU JADHAV,
RESIDING AT OM GANESH NAGAR SLUM,
MODEL HIGH SCHOOL, NEAR VASHINAKA,) **PID: 272608/2026 FOR R[3] IN**
CHEMBUR, MUMBAI- 400074 **SLP(C) NO.22985/2026 (SEC IX)**

WHEREAS the Petition for Special Leave to Appeal with prayer for interim relief along with application (copy enclosed) filed in the Registry by **Mr. DILIP ANNASAHEB TAUR-2101**, Advocate on behalf of the Petitioner(s) above named was listed for hearing before this Court on **30th July,2026**, when the Court was pleased to pass the following order:-

1. The submission on behalf of the petitioner is that the statutory limitation for presenting the Election Petition was expiring on 07.01.2025. The Election Petition was initially presented on 04.01.2025, at around 1315 hours. As cash counter had closed, security deposit of Rs. 2,000/- though offered was not accepted. Therefore, on 06.01.2025, the cash deposit of Rs. 2000/- was made and the Election Petition was again presented. The election petitioner presented himself along with his Advocate on 06.01.2025 and was examined. Receipt of security deposit was tendered and a note to that effect was made indicating that all requisite formalities for a valid presentation were complete. Thereafter, the petition was admitted. However, the returned candidate filed an application to dismiss the Election Petition on the ground that security deposit did not accompany the Election Petition on 04.01.2025 i.e., date of its initial presentation and, therefore the same was liable to be rejected under Section 117 read with Section 86 of the Representation of the People Act,1951. The High Court accepted the submission on behalf of the returned candidate and by the impugned order dismissed the petition.

2.The contention on behalf of the petitioner is that the petitioner could not make the deposit on account of the High Court Rules which regulate the time of deposit and limits it to 12 noon. An Election Petition can be submitted/ presented up to the last date of limitation, that is up to midnight of the day on which limitation expires. Here, the last date of limitation was 7th and, therefore, it could have been presented up to 7th midnight. The security deposit was made on 6th, and the Election Petitioner had appeared before the Registrar and verified the petition and had submitted the deposit receipt on 6th. In such circumstances, even assuming the petition did not accompany the security deposit on 04.01.2025, the presentation of the petition for all legal purposes took place on 06.01.2025, within limitation. Thus there was no justification to dismiss the Election Petition for failure to accompany it with security deposit on date of its initial presentation.

3. Issue notice, returnable in four weeks."

AND WHEREAS, the matter above-mentioned was listed before **Ld. Registrar's Court on 12th October, 2026,** When the following order was passed:-

"Respondent No.1 is duly represented. Service on respondent No.1 has already been deemed complete on 22.09.2026. Counter affidavit, if any, be filed by respondent No.1 within 30 days from the date of service of Notice.

Service was complete on respondent Nos. 2 & 4 to 6 in August 2026 but none has entered appearance.

Services on respondent No.3 through usual mode is awaited. Also, Ld. Counsel for the petitioner has filed an application for substituted service by way of publication in newspaper namely "The Times of India" (English) National Newspaper and "Loksatta" (Marathi) Local Newspaper. Allowed. Ld. Counsel for the petitioner is granted two weeks' time to file affidavit alongwith proof of publication.

List again on 17.11.2026

Copy of this Record of Proceeding be furnished to the concerned Ld. Advocate-on-record for information and compliance.

NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that the above petition with prayer for interim relief along with application will be posted for hearing before this Court in due course and you may enter appearance before this Court either in person or through an advocate on record of this Court duly appointed by you in that behalf within 30 days from the date of services of notice. You may thereafter show cause to the Court on the day that may subsequently be specified as to why Special Leave Petition and interim relief as prayed be not granted and the resultant appeal be not allowed.

You may file your affidavit in opposition to the petition as provided under Rule 14(1) of Order XXI, S.C.R.2013 within 30 days from the date of receipt of notice or not later than 2 weeks before the date appointed for hearing, whichever be earlier, but shall do so only by setting out the grounds in opposition to the questions of law or grounds set out in the SLPs and may produce such pleadings and documents filed before the Court/Tribunal against whose order the SLP is filed and shall also set out the ground for not granting interim order or for vacating interim order if already granted.

Take FURTHER NOTICE that if you fail to enter appearance as aforesaid, no further notice shall be given to you even after the grant of special leave for hearing of the resultant appeal and the matter above mentioned shall be disposed of in your absence.

Dated: **13th October, 2026** — **SD/- ASSISTANT REGISTRAR Dt. 14.10.2026**

Copy to:-
1 Mr. Dilip Annasaheb Taur- 2101 (adv.)
1st Floor, 17 Central Lane, Bengali Market, New Delhi
New Delhi, Delhi
2 Mr. Javedur Rahman-2949 (adv.)
5, Jaipur Estate, Lgf, Nizamuddin East,
New Delhi- 110013, New Delhi, Delhi

SD/- ASSISTANT REGISTRAR Dt. 14.10.2026

Important Notice
LEGAL AID

(1) Legal Services of an advocate is provided by the Supreme Court Legal Services Committee and the Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society to eligible litigants.

For further information, please contact the Secretary, Supreme Court Legal Services Committee or the Member Secretary, Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society, 107-108, Lawyers' Chambers, R.K. Jain Block-Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi- 110001 (Tel Nos. 011-23116353,23116354 (Additional Building Complex) and 011-23381257 (Front Office))

MEDIATION

(2) The facility of amicable settlement of disputes by trained mediators in cases pending in the Supreme Court is now available in the Supreme Court.

For further information, please contact the Coordinator, Supreme Court Mediation Centre, 109, Lawyers' Chambers, R.K Jain Block- Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi- 110001 (Tel No. 011-23071432)

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
MAHARASHTRA POLLUTION CONTROL BOARD
कल्पतरू पॉइंट, २, ३ आणि ४ था मजला, मूव्हीमॅक्स सिनेमा समोर, शीव सर्कल जवळ, शीव (पू), मुंबई - ४०० ०२२
Kalpataru Point, 2nd, 3rd and 4th floor, Opp. MovieMax Cinema, Near Sion Circle, Sion (E), Mumbai - 400 022
बृहन्मुंबई महानगरपालिका

जाहीर सूचना

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिका क्र. ०१/२०२६ मध्ये दिनांक २२/०९/२०२६ व १५/१०/२०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, खालील निर्देश संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू राहतील.

१ रस्ते, मार्ग, गल्लया, पदपथ यांसह तत्सम सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास संपूर्ण मनाई आहे.
२ रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, शासकीय कार्यालय व न्यायालयांपासून १०० मीटरच्या परिसरात (सर्व शांतता क्षेत्रात) फटाके फोडण्यास संपूर्ण मनाई आहे
३ ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० च्या नियम ५-अ(२) नुसार आवाज करणारे फटाके रात्रीच्या वेळी (रात्री १०.०० ते सकाळी ६.००) कोठेही फोडण्यास मनाई आहे.
४ लेसर लाईट, उच्च तीव्रतेचे प्रकाश असणारे विद्युत दिवे आणि बीम लाईट्स ह्यांच्या वा उत्सव/मिरवणुकांमधील परावर संपूर्ण मनाई आहे.
५ कोणताही कार्यक्रम/मिरवणूक आयोजित केल्यास आवाजाची तीव्रता मोजणारी यंत्रे कार्यक्रमस्थळी/ मिरवणुकी सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे.
६ खाजगी जागेतही आवाजाच्या विहित मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
७ कमी आवाज व कमी प्रदूषण करणारे हरित फटाके वापरावेत आणि नियमांनुसार विहित वेळेतच हे फटाके फोडावेत.
८ उपरोक्त निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २०००, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि स्फोटक पदार्थ अधिनियम, १८८४ अन्वये कारवाई करण्यात येईल.
९ फटाके फोडल्यामुळे सूक्ष्म कण, शिसे, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, तांब्याची संयुगे, कॅडमियम, अँटिमनी यांसारखे विषारी जड धातू आणि हानिकारक वायू वातावरणात मिसळतात तसेच अचानक तीव्र आवाज निर्माण होतो; यामुळे आधीच असलेल्या वायुप्रदूषणात भर पडते. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, श्वसन किंवा हृदयविकार असलेल्या व आजारी व्यक्ती आणि विद्यार्थ्यांना याचा सर्वाधिक त्रास होतो.
१० भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५१अ(ग) नुसार पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यामुळे आवाज व धूर निर्माण करणारे फटाके फोडणे टाळावे आणि सण सुरक्षित, शांततापूर्ण व स्वच्छ पद्धतीने साजरे करावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
११ या सूचनेचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास MPCB हेल्पलाइनशी संपर्क साधावा:
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maha.paryavaran (Maha Paryavaran App)
App Store: https://apps.apple.com/in/app/maha-paryavaran/id6746112134 (Maha Paryavaran App)

सदस्य सचिव
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई